कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉपलेक्स, नया रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/विविध/115–704/ २८५० रायपुर, दिनांक २३/11/2021

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर

विषयः– **Diversion of 73.426 ha. Of forest land in favour of PWD, NH Division No. 1 Raipur for Widening and Upgradation to 2 Lane / 4 lane of NH-930 Jhalmala – Balod-Kushumkasa – Manpur – Kohka Road in Rajnandgaon Forest Division in the State of Chhattisgarh-regarding.**

संदर्भः– 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर का पत्र क्रमांक/F. No. FC-III/CH-40/ 2019-NGP/ 7474 दिनांक 13.11.2020

2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ भू- प्रबंध/विविध/115–704/ 2615 दिनांक 20.10.2021

3. छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5–17/ 2019/ 10–2 दिनांक 11.11.2021

–0–

संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भ पत्र–1 से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर द्वारा जारी प्रथम चरण स्वीकृति के अनुक्रम में कार्यालयीन संदर्भित पत्र–2 से अधिरोपित शर्तो का पालन प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को प्रेषित किया गया था। उक्त पालन प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के संदर्भित पत्र–3 से प्रकरण में 4 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के उक्त प्रेक्षा का बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार हैं:–

S No.	Conditions	Resolution
(1)	शर्त क्रमांक – 7 में आवेदक संस्थान द्वारा केवल वचन पत्र प्रदाय किया गया है जबकि संबंधित कलेक्टर का एफ.आर.ए. संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना था।	शर्त के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा कलेक्टर जिला राजनांदगांव एवं बालोद द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है **(संलग्नक–1)**।
(2)	शर्त क्रमांक–8 में वन्यप्राणी के आवागमन हेतु 4Box Culvert की साईज बढ़ाने तथा इसकी रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये है, किन्तु आवेदक संस्थान द्वारा केवल वचन पत्र प्रेषित किया गया है।	शर्त के अनुपालन में आवेदक संस्थान द्वारा दिया गया वचन पत्र मान्य योग्य है क्योंकि वन्यप्राणी के आवागमन हेतु 4Box Culvert की साईज बढ़ाने की शर्त की पूर्ति कार्य के दौरान किया जावेगा। तदानुसार इसकी रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को प्रेषित किया जावेगा। अतएव वचन पत्र पुनः संलग्न है **(संलग्नक–2)**।
(3)	शर्त क्रमांक–9 में Reclamation Plan की प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित किया जाना था, किन्तु आवेदक संस्थान द्वारा केवल वचन पत्र प्रदाय किया गया है। इस	उक्त शर्त के अनुपालन में मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त के पत्र दिनांक 08.11.2021 से परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर मय डी.जी.पी.एस.

(174)

	पर की गई कार्यवाही का विषय विवरण सहित MoEF Regional office को कब प्रदाय किया जा सकेगा, संबंधी जानकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक से प्राप्त किया जाना उचित होगा।	एवं सी. डी. प्रेषित किया गया, जो संलग्न प्रेषित है। परियोजना अनुसार यह कार्य नया मार्ग बनाने के उपरांत पुराने मार्ग के पैच को आवेदक संस्थान द्वारा डिस्मेंटल करने के उपरांत वन मंडलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। अतः राशि की मांग तत्समय द्वितीय चरण स्वीकृति के पूर्व की जायेगी। (संलग्नक–3)
(4)	शर्त क्रमांक–10 में Gap plantation से संबंधित विस्तृत – विवरण 6 माह के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय को प्रदाय किया जाना था, चूंकि भारत सरकार द्वारा लगभग 1 वर्ष पूर्व अनुमति दिनांक 13.11.2020 को प्रदाय की गई है, किन्तु उक्त शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्थान द्वारा केवल वचन पत्र प्रदाय किया गया है।	कार्य अनुमति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती है, अपितु आवेदक संस्थान द्वारा प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत भारत सरकार की नवीन गाईड लाईन के पैरा 11.2 के अनुसार नोडल कार्यालय द्वारा 1 वर्षीय कार्य अनुमति जारी की जाती है। मार्ग निर्माण उपरांत मुख्य शर्तो का पालन आवेदक संस्थान करने हेतु वचन पत्र दिया गयाहै जिससे भारत सरकार के शर्त की पूर्ति हो जाती है।

उपरोक्तानुसार छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा उठाई गई कमियों की पूर्ति कर प्रकरण में अंतिम चरण (औपचारिक) स्वीकृति जारी करने हेतु भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को अग्रेषित करने का अनुरोध है।

संलग्नः– 1. संलग्नक 01 से 03 तक

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

(सुनील मिश्रा)
अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–704/2851 रायपुर, दिनांक 23/11/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)**, छत्तीसगढ़, रायपुर। मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र में खड़े वृक्षों के विदोहन हेतु तैयार वृक्ष विदोहन योजना अनुसार अनुशंसा की जाती है।
2. **मुख्य वन संरक्षक**, दुर्ग वृत्त, दुर्ग, छत्तीसगढ़।
   – क्षेत्रीय कार्यालय ~~नागपुर~~ द्वारा जारी की गई प्रथम चरण की स्वीकृति दिनांक 13.11.2020 की सहपठित भारत सरकार की नवीन गाईड लाईन के पैरा 11.2 के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के संदर्भित पत्र दिनांक 11.11.2021 द्वारा चाही गई 4 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी की पूर्ति होने के उपरांत आवेदक के व्यय पर सीमांकन उपरांत प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अनुमोदन उपरांत **एक वर्ष के लिये कार्य करने की अनुमति जारी की जाती है।** किये जाने वाले कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा निर्धारित किये गये जाबदर तथा नार्म्स के अधीन रहेंगे तथा मुख्य वन संरक्षक इसका लेखा वन मंडलाधिकारियों से मासिक रूप से प्राप्त करेंगे।
   – वृक्षों के विदोहन का कार्य उत्पादन प्रभाग से विदोहन की अनुमति प्राप्त कर किया जावे एवं वन मंडलाधिकारी पी. डी खाते से आहरण की अनुमति पृथक से भू–प्रबंध प्रभाग से प्राप्त करेंगे।
3. **वन मंडलाधिकारी**, बालोद / राजनांदगांव वन मंडल, छत्तीसगढ़।
4. **कार्यपालन अभियंता**, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–1, रायपुर, जिला रायपुर।

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
O/C छत्तीसगढ़